VIDYA HP

NH-82, GAYA NAWADA ROAD, BUDHGERE, MANPUR, GAYA

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम HP

(57)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 75
दिनांक 24/01/2022
(कैम्पा एवं वन संरक्षण प्रभाग)

सेवा,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)।
–सह –नोडल पदाधिकारी (वन सरक्षण)
बिहार , पटना।

विषय :– श्री अनुज कुमार मेहता द्वारा गया जिला अन्तर्गत कैया ग्राम के खाता संख्या – 329 , प्लॉट संख्या – 429 (पु), थाना संख्या 292, ब्लौक –मानपुर मे गया –मोकामा पथ (NH-82) के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट हेतू पहुँच पथ के लिए वन संरक्षणद्ध अधिनियम , 1980 के तहत 0.03375 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त बिषयक संदर्भ मे कहना है कि मुझे दिनांक 23.08.13 को HPCL कम्पनी द्वारा विषयक प्रस्तावित स्थल पर पेटोल एंव डिजल का रिटेल आउटलेट हेतू LOI पत्र निर्गत किया गया। साथ ही HPCL कम्पनी द्वारा जिला पदाधिकारी , गया द्वारा अनापति प्रमान पत्र हेतू अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागो से अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गयी। मेरे द्वारा विभिन्न विभागों से अनापति प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया।

तदआलोक में जिला पदाधिकारी गया के पत्रांक 73 दिनांक 28.05.14 द्वारा (छायायप्रति संलग्न) मुझे अनापति अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। मुझे पता नही था की वन विभाग से भी अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी गया द्वारा वन विभाग द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र नही होने की स्थिति में मुझ पर वाद दायर किया गया है, जिसमे मेरी कोई भी गलती नहीं है।

विश्वासभाजन

अनुज कुमार मेहता

गया समाहरणालय, गया

(जिला आपूर्ति शाखा)

51

पत्रांक XXVI-17/13 ....7315.... आ0

प्रेषक,

बालामुरूगन डी0, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी,
गया।

सेवा में,

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक – रिटेल,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपरेशन लिमिटेड,
लोकनायक जयप्रकाश भवन छठी मंजील,
डाक बंगला रोड, पटना।

गया, दिनांक 28.5.15

विषयः– **मौजा कईया, थाना नं0– 292 Retail Outlet की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक शून्य दिनांक 14.11.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्णित जमींन के स्वामित्व की जाँच अंचल अधिकारी, मानपुर से अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, गया के माध्यम से करायी गयी। जाँचोपरान्त प्रतिवेदन निम्न प्रकार से प्रतिवेदित किया गया है;

1. भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा	किस्म	अभ्युक्ति
कईया	292	329	429 (P)	0.23 (D)	कृषि	जमींन रैयती खाते की है। गैर कृषि कार्य परियोजन के लिए सम्परिवर्तन।

2. अंचल अधिकारी, मानपुर के प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त भूमि का डिमान्ड श्री सिद्धि सिंह कुमार, पिता– स्व0 रामस्वारथ सिंह, व श्री रामदहिन सिंह के नाम से चल रहा है। भुमि निबंधित वसिका संख्या 17186, दिनांक– 04.09.2013 के द्वारा श्री अनुज कुमार मेहता को लिज पर 35 वर्षो के लिए दिया गया है एवं लगान रसीद कटता है। भूमि का स्थल निरीक्षण अंचल अधिकारी, मानपुर द्वारा किया गया है।

50

3. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, गया द्वारा भी अंचल अधिकारी, मानपुर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

4. प्रस्तावित भूमि तक आने–जाने का सुविधा है।

5. प्रस्तावित भूमि के उपर से बिजली का तार नहीं गुजरा है एवं वहाँ घनी आबादी नहीं है।

6. प्रस्तावित भूमि नगर निगम क्षेत्र में नहीं पड़ता है।

7. अग्निशामालय पदाधिकारी, गया के द्वारा प्रस्तावित भू–खण्ड पर रिटेल आउटलेट खोलने हेतु पेट्रोलियम एक्ट के अनुरूप सारी व्यवस्था यथा (पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रो का संधारण, "धुम्रपान निषेद्य" का बोर्ड लगाना एवं प्रस्तावित स्थल पर स्टोरेज टैंक की व्यवस्था आदि) निम्न शर्त्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, सम्बधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

8. कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, गया द्वारा प्रस्तावित भूमि बसावट से दुर होने एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा किसी तरह का भवन निर्माण का प्रस्ताव नहीं होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित भू–खण्ड पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 की रिटेल आउटलेट की स्थापना में अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है। आपके द्वारा प्रेषित नक्शा दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी के स्तर तक हस्ताक्षरित संलग्न है।

अनुलग्नकः– नक्शा दो प्रतियाँ में
एवं जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

7/5/14

जिला पदाधिकारी
गया।

जिला पदाधिकारी
गया।

49

पत्रांक 151 दिनांक 16.9.2020

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, गया।

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी,
गया।

सेवा में,

प्रबंधक/संचालक
VIDYA HP
NH-82,गया नवादा रोड
बुधगेरे ,मानपुर गया।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 00दिनांक 18.09.2020

बिषयः– **पेट्रोल पम्प पर अग्नि सुरक्षा एवं निवारण हेतु संस्थापित किए गए अग्निशमन यंत्रोंको जॉच प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन अनुरोध पत्र के आलोक में **NH-82**,गया नवादा रोड,में बुधगेरे ,मानपुर में पूर्व से संचालित **VIDYA HP** (पेट्रोल पम्प संचालन अनुज्ञप्ति सं 02/2015) पर आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु अधिष्ठापित किए गए अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया गया। जिसका विवरणी इस प्रकार हैः–

1. डीजल एवं पेट्रोल स्टोरेज टैंक भूमिगत है, जिसके उपर से उच्च क्षमता बिजली तार नहीं गुजरा है, जो अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव हेतु उत्तम है।
2. प्रत्येक डिलिवरी मशीन के समीप मानक के अनुरूप ए0बी0सी0 टाईप (09kg) फायर एस्टींग्यूसर यथोचित स्थानों पर पाया गया, जो क्रियाशील अवस्था में है।
3. स्टोरेज टैंक के समीप सुखे बालू से भरी बाल्टियॉ भी रखी गई है, जो स्टैण्ड युक्त है।
4. कार्यालय एवं विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सी0ओ0टू0 टाईप एस्टींग्यूसर रखी पाई गई, जो सक्रिय अवस्था में है।
5. पम्प परिसर में **क्या करें** और **क्या नहीं करें** का फ्लैक्स लगा पाया गया।
6. पम्प परिसर में आपातकालिन सेवाएँ का सम्पर्क नं0 टंकित है, जो आपात समय में सहायक होगा ।
7. पम्प पर कार्यरत सभी कर्मी पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र से परिचित है एवं उपयोग करने की जानकारियॉ प्राप्त है।

सुझावः–

01. **नो स्मोकिंग** की तख्ती प्रत्येक डिलिवरी मशीन एवं पम्प परिसर में लगाया जाए।
02. टैंकलोरी से पेट्रोल, डीजल अनलोड करते समय वाहन के पास पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र रखा जाना आवश्यक है एवं वाहन बंद करने के आधे घंटे पश्चात हीं अनलोड कार्य किया जाए।
03. स्टोरेज टैंक के एयर भल्व को हमेशा सफाई करें एवं कवर (ढ़क्कन) में लौक अवश्य लगाएँ।
04. सर्तकता, कार्य क्षमता एवं निरंतरता बनाए रखने हेतु वर्ष में दो बार अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रील किया जाना आवश्यक है।

VIDYA HP (पेट्रोल पम्प) में किए गए अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक है। अग्निशमन यंत्रों को क्रियाशील रखने कि जिम्मेवारी प्रबंधक/संचालक की है। यंत्रों का संधारण भारतीय मानक व्यूरो 15683/2006 के अनुसार करेंगे।अन्य व्यवस्था पेट्रोलियम रूल्स 1934 एंव उस पर बनाये गये नियम तथा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884/1908 तथा उस पर बनाये गये नियम एंव विहार अग्निशमन सेवा एक्ट 2014 में वर्णित अग्नि सुरक्षा प्रावधानो के अनुरुप करना होगां यह जॉच प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए अनुमान्य है।

विश्वासभाजन
16.9.20
Fire Station Officer
Gaya